आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2022–23/2001 दिनांक– 15/02/23

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय,
वित्तपोषित महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री(बी.एड.) संबल योजना एवं बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु तिथि में अभिवृद्धि बाबत्।

संदर्भः– विभाग द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति क्रमांक–1162 दिनांक–18.10.2022, 1429 दिनांक–01.12.2022, 1405 दिनांक–01.12.2022, 1643 दिनांक–21.12.2022 एवं 1756 दिनांक–16.01.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निम्नलिखित योजनाओं हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 15.02.2023 है जिनमें निम्नानुसार दिनांक–08.03.2023 तक अभिवृद्धि की जाती है –

क्र. स.	योजना का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2022–23	20.10.2022	08.03.2023
2.	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना	2022–23	20.10.2022	08.03.2023
3.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना	2022–23	02.12.2022	08.03.2023

योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबधित दिशा–निर्देश, परिपत्र क्रमांक–955 दिनांक–30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल–निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।

Signature valid

Digitally signed by Lalita Sharma
Designation: Chief Accounts Officer
Date: 2023.02.15 17:14:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3179609

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

(डॉ. ललिता शर्मा)
मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2022–23/2002-06 दिनांक– 15/06/23

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5 प्रभारी वेबसाइट, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by L[illegible] Sharma
Designation: Chief Accounts Officer
Date: 2023.0[illegible] [illegible]:14:24 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref No. : 3179609